

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 /2018/13


दिनांक : 14/02/2019

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प041/2018/82 दिनांक 05.10.18 के द्वारा नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के कार्यग्रहण की सूचना समय पर नहीं भिजवाये जाने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प041/2018/10 दिनांक 08.02.19 के द्वारा निरस्त किये गये, परन्तु निम्नांकित चिकित्सकों द्वारा राज्य सेवा में निर्धारित तिथि पर कार्यग्रहण करने के फलस्वरूप निरस्त किये गये आदेश में निम्नांकित चिकित्सकों के नाम को तुरन्त प्रभाव से एतए द्वारा विलोपित (withdraw) किया जाता है।

S. NO	DISTRICT	PLACE	INSTT	NAME OF DOCTOR	DR POST	DOB	APPT. O.D. S.N.
1	KARAULI	CHENPURBARIA	PHC	MANOJ KUMAR MEENA	MO	15-07-91	136
2	KARAULI	HADOTI	CHC	RAJMOHAN MEENA	MO	01-01-87	124
3	KARAULI	INAYATI	PHC	MANOJ KUMAR MEENA	MO	10-07-91	118
4	KARAULI	KUDGAON	CHC	MANOJ KUMAR MEENA	MO	04-07-92	128
5	KARAULI	MAHANDIPUR BALAJI	PHC	DILEEP KUMAR SAINI	MO	19-09-90	164
6	KARAULI	SAIPUR	PHC	ARTI NAREDA	MO	27-03-94	145
7	KARAULI	SUROTH	CHC	MUKESH JATAV	MO	29-10-91	72

नोट :- निदेशालय के नियुक्ति आदेश क्रमांक राजपत्रित/एटी/प041/2018/82 दिनांक 05.10.18 यथावत प्रभावित रहेगा।



14/2/19
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 /2018/13

दिनांक : 14/02/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/जिला कलक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।


14/2/19
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।